

Auth-me
Group 'D'

हरियाणा सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

सितम्बर 19, 1986

सं० सा०का०नि० 65/संवि०/अनु० 309/86.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा पूर्ति एवं निपटान निदेशालय, (राज्य सेवा ग्रुप ख) में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग 1—सामान्य

1. ये नियम पूर्ति एवं निपटान निदेशालय, हरियाणा (राज्य सेवा ग्रुप ख) नियम, संक्षिप्त नाम । 1986 कहे जा सकते हैं।

2. इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

परिभाषाएं

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग,

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लेगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(घ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निर्गमित कोई विश्वविद्यालय, या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या हाका विश्वविद्यालय; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) कोई संस्था जो राज्य में लागू विधि के अन्तर्गत स्थापित की गई हो; या

(ii) कोई संस्था जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त हो ;

(च) "सेवा" से अभिप्राय है पूर्ति एवं निपटान निदेशालय, हरियाणा (राज्य सेवा ग्रुप ख)।

भाग II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में उम्मीदवारों की रजिस्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ;

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में अस्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, (यूगांडा, तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जॉर्जिया मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हो किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भलीभांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले की तिथि को इक्कीस वर्ष से कम और तीस वर्ष से अधिक हो। आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में तथा पदोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो:

अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जाएगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति, —

निरहताएं।

(क) जिसने जीवित पति-पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया हो या विवाह की संविदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी, —

भर्ती का ढंग।

(क) सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (ईजीनियरिंग), सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (टेक्सटाईल) तथा सहायक निदेशक पूर्ति, एवं निपटान (कैमीकल) की दशा में:—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी भी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ख) सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (सामान्य) तथा सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (विविध) की दशा में,—

(i) अधीक्षक अथवा प्रधान सहायकों में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी भी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के हस्तान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

परिवीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु —

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्त प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानान्तरण नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसी स्थानापन्न रूप में कार्य किया है परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार हो ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो ; —

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार हो ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता, क्रम परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य ज्येष्ठ होगा।

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान्त ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था। और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) किसी भी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर नियम या स्थानीय प्राधिकरण ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य की उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामलों।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा वित्त नियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए जा बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथासंशोधित पंजाब सिसिल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1952, द्वारा नियंत्रित होंगे ; अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें ।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अधीन 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में निर्दिष्ट है ।

(2) पंजाब सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1952, के नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में बताया गया हो ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा टीका लगवाना ।
ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि राजनिष्ठा की ।
द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो तो ऐसा शपथ ।
करने की अपेक्षा की जाएगी ।

17. जहां सरकार को राज्य में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग ढील देने की शक्ति ।
के बारे में ऐसा कर सकती है ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह विशेष उपबन्ध ।
नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आरक्षण ।
समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ;

परन्तु इस प्रकार के किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

20. इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले पदों पर लागू उद्योग विभाग वर्ग-II निरसन ।
सेवा नियम, 1966, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियम के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्सम्बन्धी उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट "क"
[देवि ए नियम 3]

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या					वैतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़			
1	2	3	4	5	6		
1	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (इंजीनियरिंग)	..	1	1	800—30—890/940—40—1,100— 50—1,600	रुपये	
2	सहायक निदेशक पूर्ति एवं निपटान (टैक्स- टाईल)	1	..	1	800—30—890/940—40—1,100— 50—1,600		
3	सहायक निदेशक पूर्ति एवं निपटान (कैमीकल)	1	..	1	800—30—890/940—40—1,100— 50—1,600		
4	सहायक निदेशक पूर्ति एवं निपटान (सामान्य)	1	..	1	800—30—890/940—40—1,100— 50—1,600		
5	सहायक निदेशक पूर्ति एवं निपटान (विविध)	1	..	1	800—30—890/940—40—1,100— 50—1,600		

परिशिष्ट "बु"

[देखिए नियम 7]

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये- शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (इंजीनियरिंग)	(1) यांत्रिक/उत्पादन/इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में डिग्री (2) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (3) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला अथवा प्रमाणित फैक्टरी में स्टोर्स के परीक्षण/निरीक्षण का 2 वर्ष का अनुभव	(1) यांत्रिक/उत्पादन/इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में डिग्री (2) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (3) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोग- शाला अथवा प्रमाणित फैक्टरी में स्टोर्स के परीक्षण/निरीक्षण का 2 वर्ष का अनुभव

क्रम संख्या	पद नाम	संक्षीप मर्ती के लिये शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव, यदि कोई हो	संक्षीप मर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव, यदि कोई हो
2	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (टेक्सटाईल)	(1) टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी/टेक्सटाईल कैमिस्ट्री में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा (2) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (3) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला अथवा प्रतिष्ठित फैक्ट्री में स्टोर्स के परीक्षण/निरीक्षण का 2 वर्ष का अनुभव यदि वह डिग्री का अनुभव डिप्लोमा होल्डर के लिये	(1) टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी/टेक्सटाईल कैमिस्ट्री में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा (2) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (3) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला अथवा प्रतिष्ठित फैक्ट्री में स्टोर्स के परीक्षण/निरीक्षण का 2 वर्ष का अनुभव यदि वह डिग्री होल्डर हो और 5 वर्ष का अनुभव डिप्लोमा होल्डर के लिये
3	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (कैमीकलज)	(1) कैमीकल इंजीनियरिंग/कैमीकल लॉजी में प्रथम श्रेणी में डिग्री (2) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (3) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला अथवा प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कैमीकल की त्रय या ड्रगज इत्यादि में परीक्षण/निरीक्षण का 2 वर्ष का अनुभव	(1) कैमीकल इंजीनियरिंग/कैमीकल टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में डिग्री (2) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (3) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला अथवा प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कैमीकल की त्रय या ड्रगज इत्यादि में परीक्षण/निरीक्षण का 2 वर्ष का अनुभव

4 सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान
(सामान्य)

5 वर्ष का अनुभव अधीक्षक के रूप में या प्रधान सहायक के रूप में 8 वर्ष का या अधीक्षक/प्रधान सहायक के रूप में 8 वर्ष का संयुक्त अनुभव

5 सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान
(विविध)

5 वर्ष का अनुभव अधीक्षक के रूप में या प्रधान सहायक के रूप में 8 वर्ष का या अधीक्षक/प्रधान सहायक के रूप में 8 वर्ष का संयुक्त अनुभव

परिशिष्ट "ग"

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये अधिकारी	सक्षम प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6

1 सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान सरकार (इंजीनियरिंग)

(क) वैयक्तिक फाईल पर प्रति रखते निदेशक पूर्ति एवं सरकार निपटान, हरियाणा

(ख) परिनिन्दा ;

2 सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (टैक्सटाईल)

(ग) वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना जिस में दक्षतारोध पर रोकना भी शामिल है ;

3 सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (कैमीकल)

(घ) उपेक्षा अथवा आदेशों के उल्लंघन द्वारा सरकार को हुई किसी धन सम्बन्धी हानि की पूर्ण या उसके भाग को वेतन से वसूली ;

- 4 सहायक निदेशक पूर्ति एवं निपटान सरकार (सामान्य)
- 5 सहायक निदेशक पूर्ति एवं निपटान (विषय)
- (क) निम्नतर पद ग्रथवा समयमान सरकार में श्रवणति ग्रथवा समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर श्रवणति
- (ख) सेवा से हटाया जाना जो भावी नियोजन के लिये निरहित नहीं करता
- (ग) सेवा से पदच्युति जो भावी नियोजन के लिये सामान्य निरहित करती है

परिशिष्ट "ब"

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी
1	2	3	4
1	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (इंजीनियरिंग)	(1) पेशान को नियमित करने वाले नियमों के अधीन सामान्य/अतिरिक्त पेशान की राशि में कमी करना अथवा रोकना	सरकार
2	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (टेक्स्टाईल)	(2) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवासिता के लिये नियत आयु के होने से अथवा नियुक्ति की समाप्ति	
3	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (कैमीकल)		
4	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (सामान्य)		
5	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (बिबिध)		

सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
INDUSTRIES DEPARTMENT

Notification

The 19th September, 1986

No. G.S.R./65 Cons/Art. 309/86.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Supplies and Disposals Directorate, (Group B) Service, namely:—

PART-I GENERAL

1. *Short title.*—These rules may be called the Haryana Supplies and Disposals Directorate (Group B) Service Rules, 1986.

2. *Definitions.*—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an officer already in the service of the Government of India or any State Government;

(c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(d) "recognised university" means,—

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) in the case of degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules;

(e) "institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(f) "Service" means the Haryana Supplies and Disposals Directorate (Group B) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

3. *Number and character of posts.*—The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay either permanently or temporarily.

4. *Nationality, domicile and character of candidates appointed to the Service.*—(1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is—

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject to Nepal; or
- (c) a subject to Bhutan; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India.

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. *Age.*—No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than twenty-one years or more than thirty years of age on the date next preceding the last date of submission of application to the Commission.

6. *Appointing Authority.*—Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

7. *Qualifications.*—No person shall be appointed to any post in the service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment :

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped candidates, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. *Disqualifications.*—No person—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who having a spouse living, has entered ; or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government, may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. *Method of recruitment.*—Recruitment to the Service shall be made—

- (a) in the case of Assistant Director, Supplies and Disposals (Engineering), Assistant Director, Supplies and Disposals (Textile) and Assistant Director, Supplies and Disposals (Chemicals),—

- (i) by direct recruitment ; or

- (ii) by transfer or deputation of any officer already in service of any State Government or Government of India,

- (b) in the case of Assistant Director, Supplies and Disposals (General) and Assistant Director, Supplies and Disposals (Miscellaneous),—

- (i) by promotion from amongst the Superintendent or Head Assistants, or on the basis of seniority-cum-merit ; or

- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or Government of India.

10. *Probation.*—(1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that—

- (a) any period after, such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;
 - (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and
 - (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—
- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
 - (i) revert him to his former post, or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—
- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or
 - (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—
 - (i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, or revert him to his former post or deal with in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit, if appointed otherwise ; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation ;

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

11. *Seniority.*—Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service;

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of members, appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment, and if the length of such service is also the same, the elder member shall be senior to the younger member.

12. *Liability to serve.*—(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under —

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by Central Government.
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

13. *Pay, leave, pensions and other matters.*—In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

14. *Discipline, Penalties and Appeals.*—(1) In matter relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Punjab Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1952, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d), of sub-rule (1) of rule 10 of the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1952, and appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

15. *Vaccination.*—Every member of the Service, shall get himself vaccinated and re-vaccinated as if and when Government so directs by a special or general order.

16. *Oath of Allegiances.*—Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

17. *Power of relaxation.*—Where the Government of the opinion, that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

18. *Special provisions.*—Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

19. *Reservations.*—Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent at any time.

20. *Repeal and savings.*—The Industries Department Class:II Service Rules, 1966, as applicable to the post covered by these rules are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules, so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Number of posts

Serial No.	Designation of posts	Permanent	Temporary	Total	Scale of pay
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Director, Supplies and Disposals (Engineering)	..	1	1	Rs. 800-30-890/940-40-1100-50-1600.
2	Assistant Director, Supplies and Disposals (Textile)	1	..	1	Rs. 800-30-890/940-40-1100-50-1600.
3	Assistant Director, Supplies and Disposals (Chemicals)	1	..	1	Rs. 800-30-890/940-40-1100-50-1600.
4	Assistant Director, Supplies and Disposals (General)	1	..	1	Rs. 800-30-890/940-40-1100-50-1600.
5	Assistant Director, Supplies and Disposals (Miscellaneous)	1	..	1	Rs. 800-30-890/940-40-1100-50-1600.

APPENDIX B
(See rule 7)

Serial No.	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment.	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
1	Assistant Director Supplies and Disposals (Engineering)	(1) 1st Class degree in Mechanical/ Production Engineering (2) Knowledge of Hindi upto Matric Standard. (3) 2 years experience in testing/ inspection and purchase of Engineering Stores in Govern- ment approved Laboratory or reputed factory.	(1) 1st Class degree in Mechanical/ Production Engineering. (2) Knowledge of Hindi upto Matric standard. (3) 2 years experience in testing/ inspection and purchase of Engineering Stores in Govern- ment approved Laboratory or reputed factory.
2	Assistant Director Supplies and Disposals (Textile).	(1) 1st Class Diploma in Textile Technology/Textile Chemistry. (2) Knowledge of Hindi upto Matric Standard.	(1) 1st Class Diploma in Textile Technology/Textile Chemistry. (2) Knowledge of Hindi upto Matric Standard.

- (3) Experience in testing, inspection and purchase of stores in Government approved laboratory or reputed factory for 2 years in case of Degree holder and 5 years in case of Diploma holders.
- (1) 1st Class degree in Chemical Engineering/Chemical Technology
- (2) Knowledge of Hindi upto Matric Standard.
- (3) 2 years experience in testing, inspection and purchase of chemical or Drugs in Government approved laboratory or reputed factory.
- 5 years experience as Superintendent or 8 years as Head Assistant or combined experience of 8 years Superintendent and Head Assistant.
- 5 years experience as Superintendent or 8 years as Head Assistant or combined experience of 8 years Superintendent and Head Assistant.
- 3 Assistant Director
Supplies and Disposals,
(Chemicals)
- 4 Assistant Director
Supplies and Disposals,
(General).
- 5 Assistant Director,
Supplies and Disposals
(Miscellaneous).

APPENDIX C

[See rule 14 (1)]

Serial No.	Designation of post.	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1.	Assistant Director, Supplies and Disposals (Engineering)	Government	(a) warning with a copy on personal file;	Director, Supplies & Government Disposal & Haryana.	
2.	Assistant Director, Supplies and Disposals (Textile)		(b) censure;		
			(c) withholding of increments or promotion, including stoppage at an efficiency bar if any;		
3.	Assistant Director, Supplies and Disposal (Chemical)		(d) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders.		
4.	Assistant Director, Supplies and Disposals (General)				

5. Assistant Director,
Supplies and Disposals
(Miscellaneous)

(e) reduction to a lower post or time scale or to a lower stage in a time scale;

(f) removal from the service which does not disqualify from future employment;

(g) dismissal from the service which does ordinarily disqualify from future employment.

APPENDIX D
[See rule 14(2)]

Serial Number	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order
1	2	3	4
1	Assistant Director, Supplies and Disposals (Engineering)	(1) Reducing or with holding the amount of ordinary/additional pension admissible under the rules governing pension	Government
2	Assistant Director, Supplies and Disposals (Textile)	(2) Terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age of fixed for Superannuation.	
3	Assistant Director, Supplies and Disposals (Chemical)		
4	Assistant Director, Supplies and Disposals (General)		
5	Assistant Director, Supplies and Disposals (Miscellaneous)		

Secretary to Government, Haryana,
Industries Department.